Modicare
FOUNDATION

बाल यौन शोषण

प्रश्न 1. बच्चा कौन है?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, बच्चा उस हर व्यक्ति को कहा जाता है जो अठारह वर्ष की आयु से कम है।

प्रश्न 2. बाल यौन शोषण क्या है?

उत्तर: बाल यौन शोषण को एक गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ बच्चे के साथ यौन गतिविधियाँ किसी वयस्क या उस किशोर द्वारा की जाती हैं जो बच्चे पर अधिकार रखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, 2021 में भारत में बाल यौन शोषण के 53,874 मामले दर्ज किए गए थे, जो कुल बाल अपराधों का लगभग एक तिहाई थे।
यह आँकड़ा दर्शाता है कि बाल यौन शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, और इसके प्रमुख कारणों में जागरूकता में वृद्धि और रिपोर्टिंग प्रणालियों का सुधार शामिल हैं (National Herald)। हालाँकि, यह भी सच है कि असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई मामले जागरूकता की कमी या समाजिक कलंक के कारण रिपोर्ट नहीं होते । जानकारी के अनुसार, 2020 में बाल यौन शोषण के 1,34,383 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2021 में यह संख्या बढ़कर 1,49,404 हो गई, जो 2020 से 16.2% अधिक है। यह आँकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि बाल यौन शोषण एक गंभीर और बढ़ता हुआ अपराध है, और इसे रोकने के लिए सख्त कानूनी उपायों और समाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। (The New Indian Express)

बाल यौन शोषण में गतिविधियों और व्यवहार की एक श्रृंखला शामिल है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- बच्चे के निजी भागों (जननांग) को यौन सुख के लिए छूना
- बच्चे को कपड़े उतारते/ बदलते या स्नान करते हुए देखना या ऐसा करने के लिए मजबूर करना किसी भी रूप में बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना
- बच्चे के शरीर के हिस्सों को छूना, सहलाना, चूमना
- बच्चे को छूने, सहलाने, चूमने या उस व्यक्ति के जननांग या निजी भागों को छूने के लिए कहना जो शुरू करता है, यौन खेल खेलना
- बलात्कार
- बच्चे के सामने हस्तमैथुन करना या अपने जननांग दिखाना
- बच्चे की यौन मुद्राओं नग्न अवस्था में फोटो खींचना
- बाल अश्लीलता/बच्चों की यौन छवि डाउनलोड करना
- बच्चे का पीछा करना या सीधे या ऑनलाइन संपर्क करना

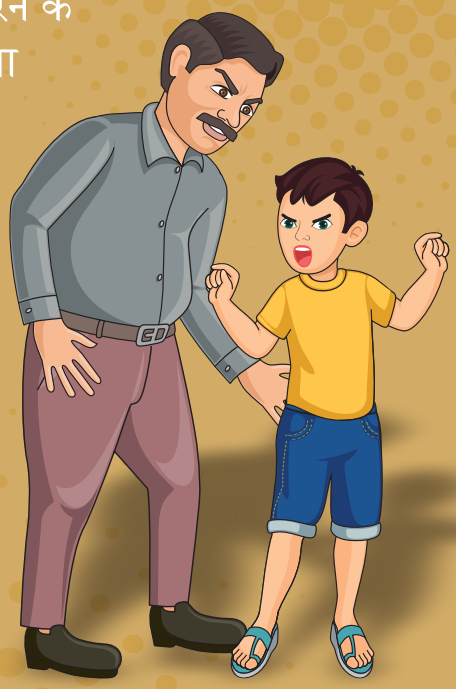

Modicare FOUNDATION

प्रश्न 3. आप यौन शोषण से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

उत्तर: यदि कोई आपसे यौन शोषण करता है - मौखिक, शारीरिक या दृश्य रूप से, तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित करें जिस पर आप विश्वास करते हैं।

- आप दोषी नहीं हैं; कभी भी खुद को दोष न दें।
- अजनबियों, सुनसान स्थानों और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के प्रति सावधान रहें।
- जब भी आप बाहर जाएँ, अपने माता-पिता या अभिभावकों को सूचित करें।

सुरक्षित रहें = सुरक्षित रहें

1) R- Recognize पहचानें

सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श को 3 W's और 1 H की मदद से:

Who कौन: कौन छू रहा है

When कब: स्पर्श कब होता है

Where कहाँ: स्पर्श कहाँ होता है (कौन से शरीर के अंग, किस स्थान पर)

How long कितनी देर: स्पर्श कितनी देर तक होता है

बाल हेल्पलाइन 1098

महिला हेल्पलाइन 1091

POCSO

2) R- Resist प्रतिरोध करें

दूसरों को आपकी गोपनीयता या स्थान का उल्लंघन न करने दें।

यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको असहज महसूस कराती है, तो उनसे बचें या उस स्थान को छोड़ दें।

- "नहीं" कहें
- एक विश्वसनीय वयस्क के पास जाएँ और मदद माँगें
- स्थिति के अनुसार दृढ़ता और साहस दिखाएँ

3) R- Report रिपोर्ट करें

विश्वसनीय वयस्क (माता-पिता, शिक्षक, भाई-बहन आदि) को सूचित करें ताकि मदद और समर्थन प्राप्त कर सकें।

निम्नलिखित नंबरों पर शिकायत करें:

1.पुलिस: 100 या 112

2.बाल हेल्पलाइन: 1098

3.महिला हेल्पलाइन: 1091 या 181

प्रश्न 4. बाल यौन शोषक कौन हो सकता है? क्या वह हमेशा एक अजनबी होता है?
उत्तर: एक सामान्य मिथक है कि ज्यादातर अजनबी बाल यौन शोषण करते हैं। जबकि यह देखा गया है कि, शोषक अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्हें बच्चे जानते हैं और वे लोग उनके करीब हो सकते हैं। वे परिवार के सदस्य, पड़ोसी, ट्यूटर/शिक्षक, देखभाल करने वाले आदि हो सकते हैं। वे पुरुष या महिलाएँ हो सकते हैं। सहपाठी या बड़े बच्चे भी बच्चों का यौन शोषण कर सकते हैं।

प्रश्न 5. क्या बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कोई कानून है?
उत्तर: हाँ, बाल यौन शोषण से निपटने के लिए, भारत सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है, जिसका नाम POCSO एक्ट यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ।
POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों और अपराधों (शोषण) से बचाने के लिए एक कानून है। यह न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चे के हितों की रक्षा करता है, जिसमें रिपोर्टिंग और सबूतों के रिकॉर्डिंग के लिए बच्चे के अनुकूल प्रक्रियाएँ होती हैं, साथ ही अपराधों की जाँच और परीक्षण भी।

प्रश्न 6. POCSO अधिनियम, 2012 के प्रावधान क्या हैं?
उत्तर: POCSO अधिनियम 2012 की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- यह लिंग-तटस्थ है, जिसका अर्थ है कि यह लड़कों और लड़कियों दोनों की रक्षा करता है
- यह एक बच्चे के अनुकूल अधिनियम है
- यह बच्चों के प्रति सभी प्रकार के यौन अपराधों को शामिल करता है
- यह यौन शोषण की रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है
- यह शिकायत प्राप्त करने के बाद आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान करता है
- यह अधिनियम बाल यौन शोषण को गैर-जमानती अपराध बनाता है

प्रश्न 7. POCSO अधिनियम, 2012 की कौन-सी विशेषताएँ इसे बच्चों के अनुकूल बनाती हैं?
उत्तर: POCSO अधिनियम, 2012 ने न्यायिक प्रक्रिया को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं, जिससे यौन शोषण के शिकार बच्चों को अपराध की रिपोर्ट करने और उनके दुखों का निवारण खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, साथ ही उनके आघात से उबरने में सहायता प्राप्त करने के लिए।
POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बच्चे को निम्नलिखित का अधिकार है:

- अपने बयान को उनके घरों या उनकी पसंद के स्थान पर विशेषतः महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप-निरीक्षक के रैंक से कम न हो, दर्ज कराना।
- यह अधिनियम पुलिस अधिकारी के लिए शिकायत प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को घटना की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है।
- पुलिस अधिकारी को बच्चे का बयान दर्ज करते समय यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए।
- बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार एक दुभाषिया या अनुवादक या विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाती है।
- चिकित्सा परीक्षा माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए, जिस पर बच्चा भरोसा करता हो, और यदि बच्ची है, तो महिला डॉक्टर द्वारा।
- बच्चे की पहचान को सार्वजनिक और मीडिया से संरक्षित रखा जाना चाहिए।
- यह अधिनियम अदालत परिसर में एक परिवार के सदस्य, अभिभावक, मित्र या रिश्तेदार को उपस्थित रहने की अनुमति देकर बच्चों के अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें बच्चे का विश्वास या आत्मविश्वास हो।
- बच्चे को गवाही देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए।
- बच्चा कोर्टरूम में गवाही देने के बजाय वीडियो लिंक के माध्यम से भी गवाही दे सकता है।

Modicare
FOUNDATION

/modicarefoundation.org /officialmodicarefoundation

modicarefoundation